1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658664

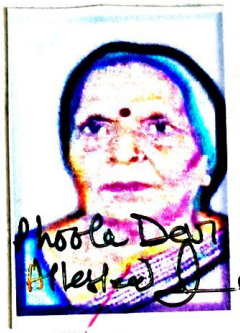



Phoola Devi
Attested Ahmad Adv.
4.9.18

## एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, आजमगढ़।
## न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 4.9.18 को आजमगढ़ में **श्रीमती फूला देवी पत्नी आनन्द कुमार सिंह, म0नं0 425, नरौली पश्चिमी, मिशन कैम्पस, पो0–हरिबंशपुर, तह0–सदर, जिला–आजमगढ़,** उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता /संस्थापक पर रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट **"एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, आजमगढ़"** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

फुलादेवी

रु: 19
की: 50

एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़ मुख्य मैने-
ट्रस्टी खलासकी डा० आनन्द कुमार सिंह म.नं. 425 -
पारिवारिक मिश्रकरमा35 सदर ...

1/9/18

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

गवाह:1- नरेन्द्र सिंह S/O गोरखनाथ सिंह
सा० सलेमपुर पो० हीरापट्टी तह०
सदर - आजमगढ़।

Narendra Singh
Attested

गवाह-2- श्यामप्यारे चौहान S/O बिन्देश्वरी
चौहान सा० हरैया पो० सठियांव
तह० सदर - आजमगढ़।
9453714377



Shyam Pyare Chauhan
Attested

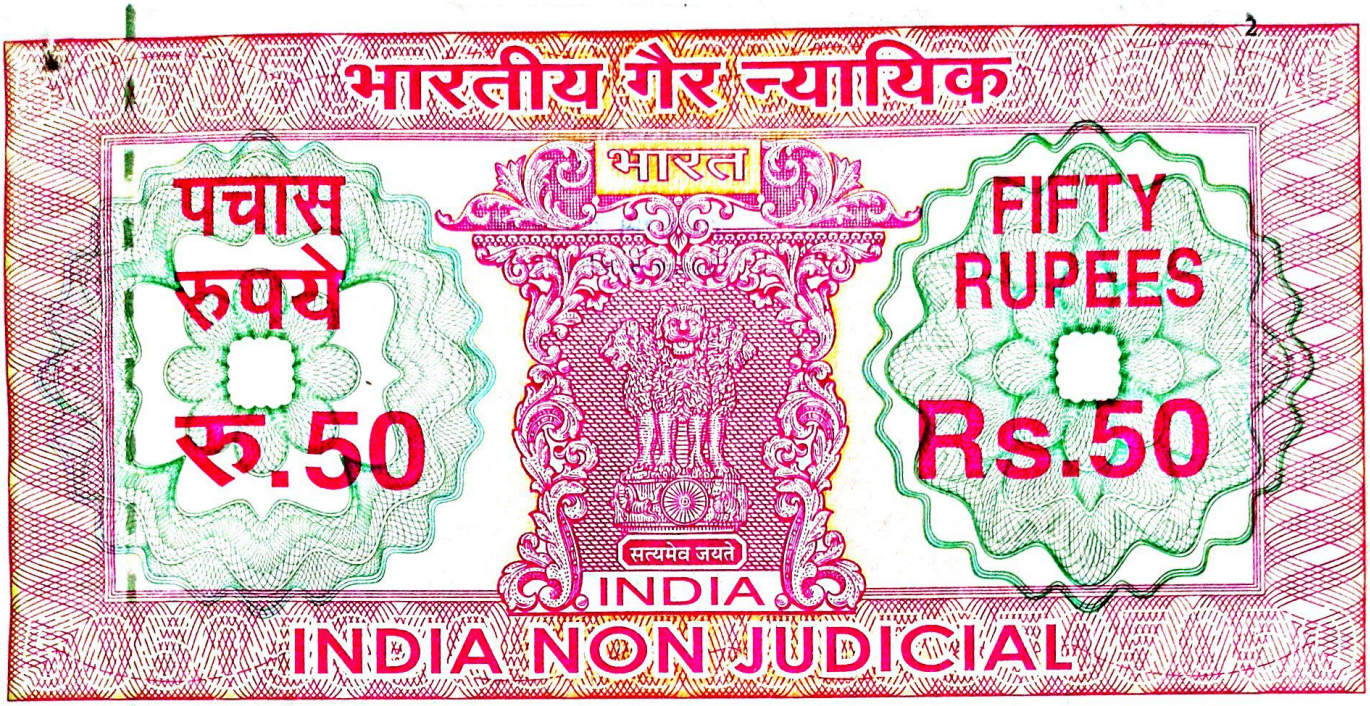


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658665

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय–**ग्राम–नरौली पश्चिमी मिशन कैम्पस, पो०–हरिबंशपुर, तह०–सदर, जिला–आजमगढ़** उ०प्र० रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी **श्रीमती फूलादेवी** की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्ट का अध्यक्ष आजीवन रहेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्श्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

## एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, आजमगढ के उद्देश्य एवं नियमावली

1. **ट्रस्ट के उद्देश्य :–** ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा –
   1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं को शासन स्तर से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
   2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी,आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658667

3. नागरिकों विशेषकर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर संकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्क्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0, पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।

पुष्पा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658668

12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्पत्ति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजाकरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुदित, सम्पादित, वितरित, विक्रति कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
24. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना। पुना देवी

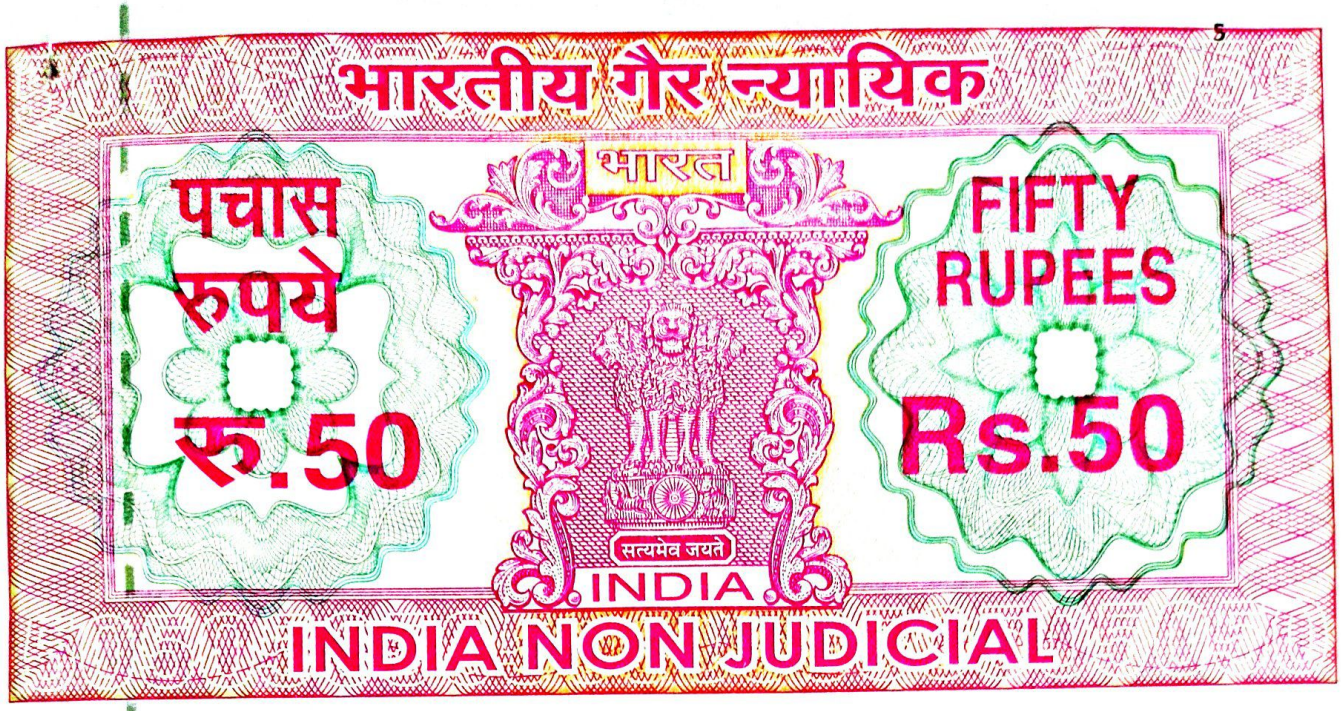


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658669

26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकलकालेज/विधि महाविद्यालयों /इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकर (Frenchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषधिकार (Frenchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने के लिए इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था/सम्पत्ति मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, वियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुए/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
32. कृषक के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु0 जातियों, जनु0 जनजातियों तथा किसी वर्ग को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658670

भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरु करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक कालेज का निर्माण करना।
36. यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों का संचालन करना।

2. **प्रारम्भिक उपबन्ध :–**

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक से श्रीमती फूला देवी को न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of deed) भी हैं को इस ट्रस्ट का मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है। श्रीमती फूला देवी पत्नी आनन्द कुमार सिंह मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, इस ट्रस्ट में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एक ही होगा। सोसाइटी **एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, आजमगढ़** से जो विद्यालय संचालित होता था, इस ट्रस्ट के पंजीकृत होते ही सोसाइटी निष्प्रभावी एवं स्वतः विधि शून्य हो जायेगी और ट्रस्ट के नियम प्रभावी हो जायेंगे। मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी जीवित रहते हुए किसी अन्य को उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि जीवित रहते हुए किसी को नियुक्त नहीं कर पाता है तो श्रीमती फूला देवी मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के पुत्र श्री मनीष कुमार सिंह ट्रस्ट के उत्तराधिकारी होंगे। श्री मनीष कुमार सिंह स्वतः उत्तराधिकारी मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। मृत्यु की तिथि से स्वतः ट्रस्ट का कार्य प्रारम्भ कर देंगे। इनकी मृत्यु के पश्चात् श्री अस्तित्व सिंह पुत्र श्री मनीष कुमार सिंह ग्राम–जीयनपुर,

फूला देवी

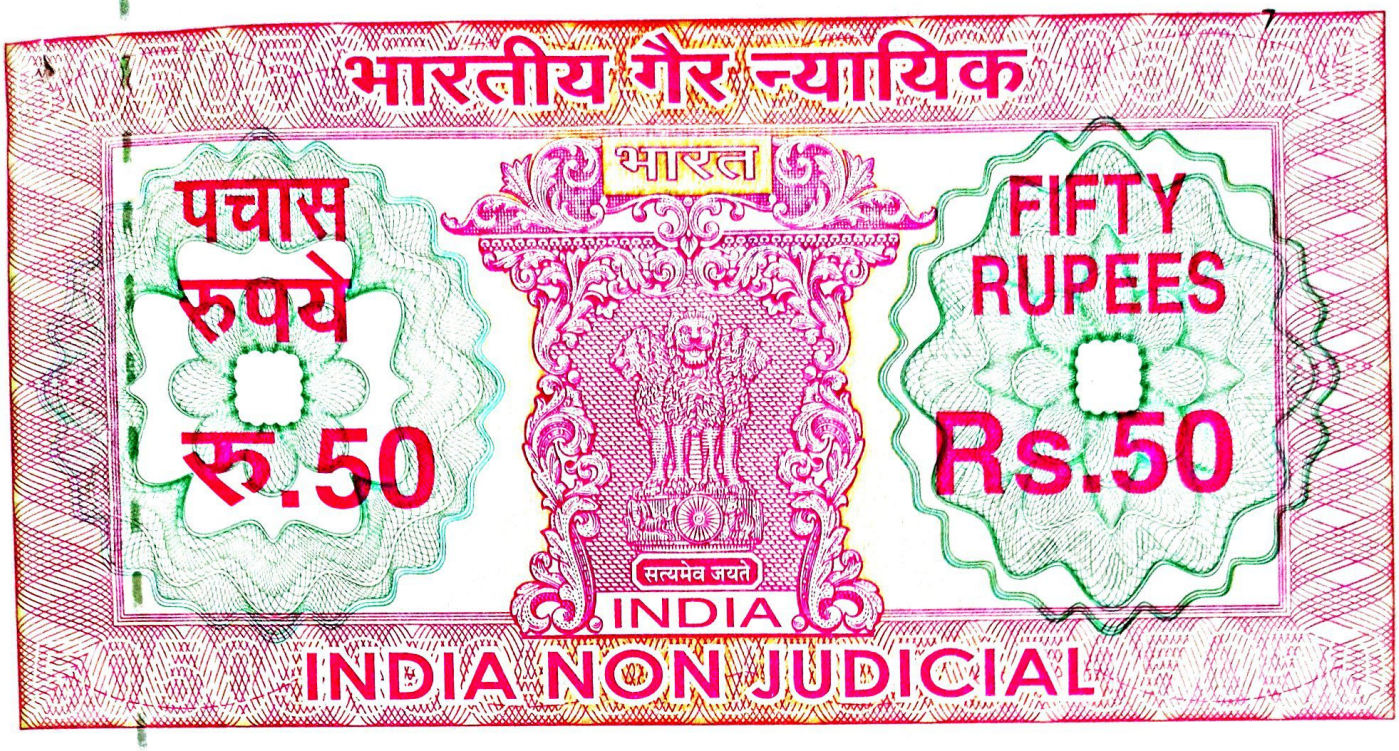


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658671

पो0–जीयनपुर, जिला–आजमगढ़ के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी होते जायेंगे। इसके पश्चात् आनुवांशिक रूप से श्री अस्तित्व सिंह के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी होते जायेंगे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी विद्यालय का पदेन प्रबन्धक होगा। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अतिरिक्त शेष सामान्य ट्रस्टी होंगे। मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी का ही निर्णय अन्तिम होगा जिस पर कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुख्य ट्रस्टी को यदि आभाष होता है कि कोई सामान्य ट्रस्टी ट्रस्ट या विद्यालय के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी बिना नोटिस दिये सामान्य ट्रस्टी को हटा सकता है जिस पर कहीं भी आपत्ति नहीं की जा सकती है। इस ट्रस्ट एवं डीड के निर्माण के समय नियमानुसार उल्लिखित ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करके निम्नवत् लोग ट्रस्ट के सदस्य बनाये गये। ट्रस्ट के पंजीकृत होने के उपरान्त अधोलिखित सदस्य नियमानुसार ट्रस्ट की गतिविधियों में भाग लेंगे।

1– श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह, नरौली पश्चिमी, मिशन कैम्पस, आजमगढ़, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी।

2– श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह, नरौली पश्चिमी, मिशन कैम्पस, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

3– श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री आनन्द कुमार सिंह, ग्राम–पो0–जीयनपुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

4– श्रीमती निश्चल सिंह पत्नी मनीष कुमार सिंह, ग्राम–पो0–जीयनपुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

5– श्री अंजनी राय पुत्र श्री राजमणि राय, ग्राम–पो0–टीकापुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

6– श्रीमती अल्का राय पत्नी श्री अंजनी राय, ग्राम–पो0–टीकापुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

फूला देवी

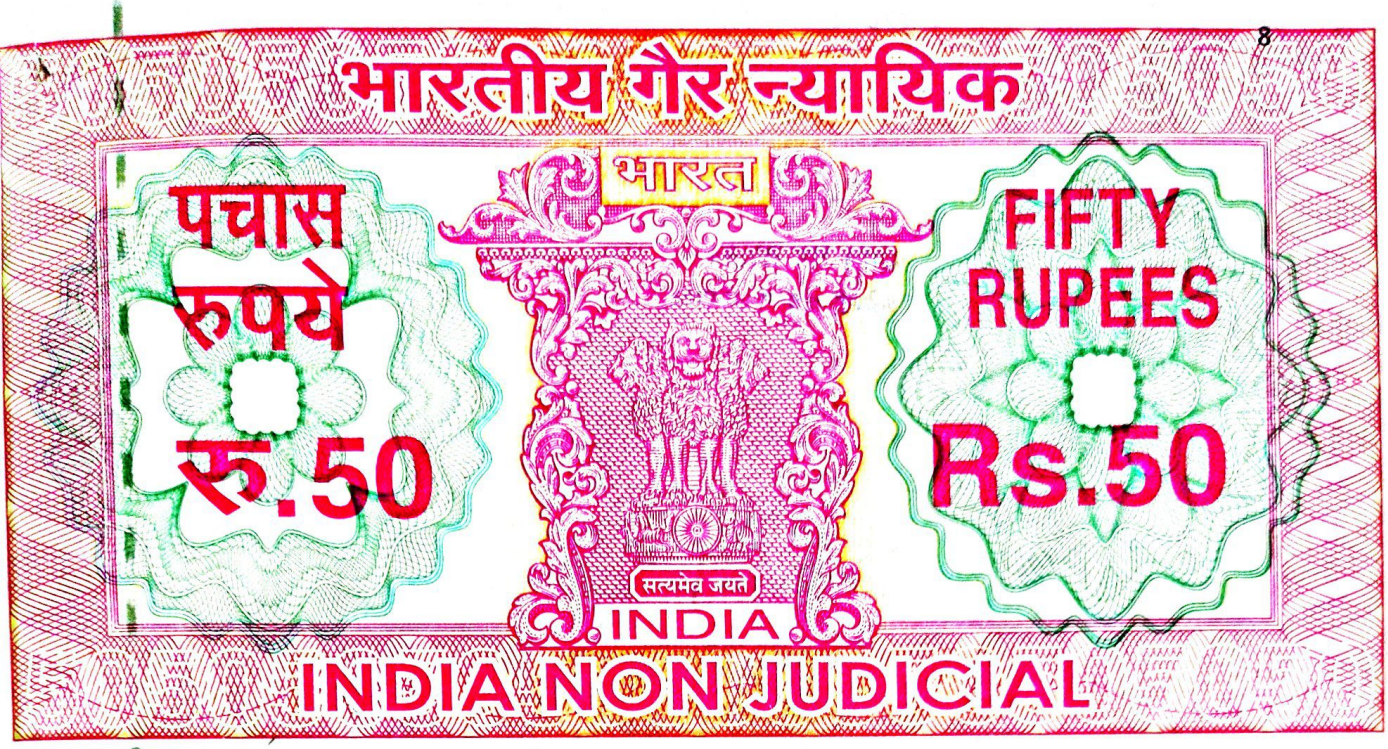


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658672

7– श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा, अशोकनगर, अशोकनगर, इलाहाबाद, सामान्य ट्रस्टी।

8– श्रीमती किरन शर्मा पत्नी श्री अरविन्द कुमार शर्मा, काझाखुर्द, काझाखुर्द, मऊ, समान्य ट्रस्टी।

9–श्री अनन्त कुमार सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह, ग्राम–इसरापार, पो0–रामगढ़, आजमगढ़ सामान्य ट्रस्टी।

10–श्रीयुत श्रीकान्त राय पुत्र स्व0 राधेश्याम राय, टीकापुर, टीकापुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी

11–श्रीमती विद्यावती राय पत्नी श्री ~~कृष्णकान्त~~ श्रीकान्त राय, टीकापुर, टीकापुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

12–श्रीमती साधना राय पुत्री श्री राजमणि राय, टीकापुर, टीकापुर, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

13–श्री रघुनाथ राय पुत्र स्व0 विशाल राय, ब्रह्मौली, रामगढ़, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

14–श्री हेमन्त कुमार राय पुत्र श्री रविन्द्रनाथ राय, ग्राम–पो0–हरैया, आजमगढ़, सामान्य ट्रस्टी।

15–श्री पंकज राय पुत्र स्व0 रामअवतार राय, ग्राम–पो0–गोंठा, मऊ सामान्य ट्रस्टी।

2. वर्तमान मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व सामान्य ट्रस्टियों में से किसी एक ट्रस्टी को हस्तान्तरित कर सकता है।

3. किसी भी नये सामान्य ट्रस्टी के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को रू0 200.00 (दो सौ रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर लिखित आवेदन करना होगा। मुख्यट्रस्टी मान्य/ अमान्य कर सकता है।

मुन्नादेवी

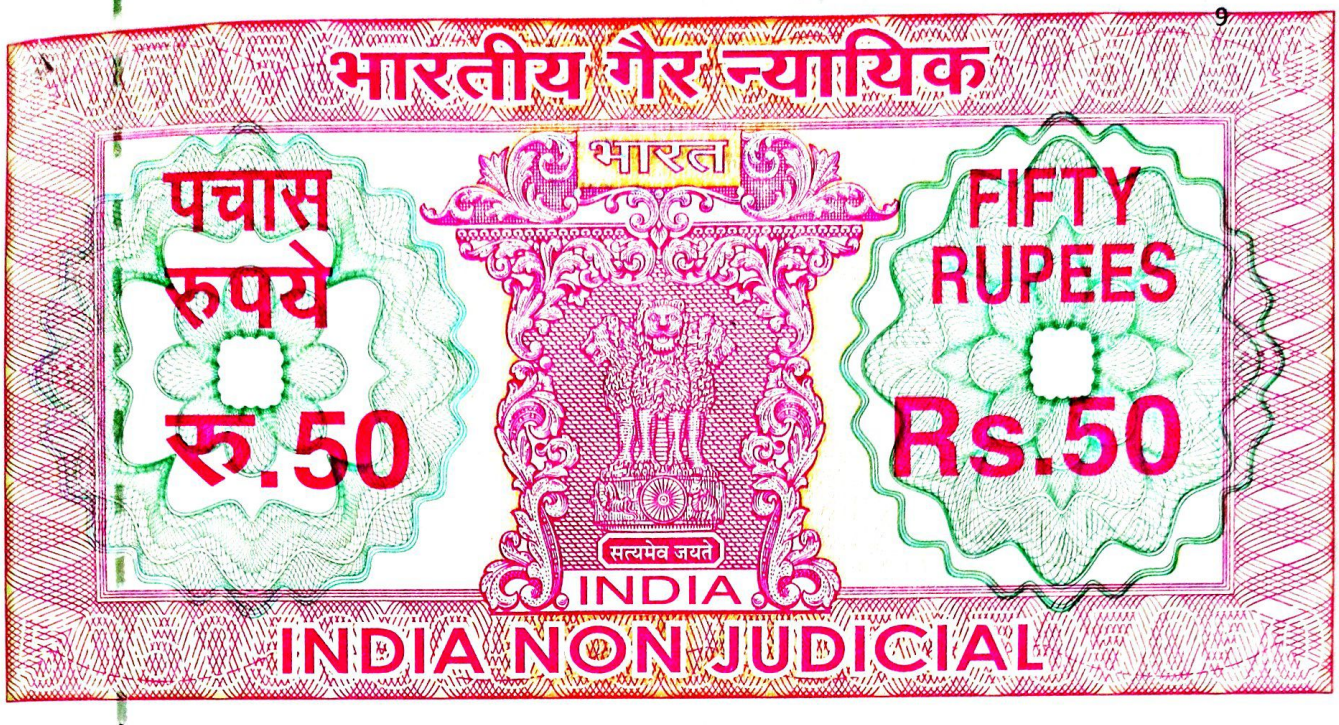


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658673

4. किसी सामान्य ट्रस्टी को ट्रस्ट के पद से मुक्त करने की शर्तें निम्न हैं– मृत्यु, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों या इससे अधिक सजा दिये जाने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर समाज के विरुद्ध कार्य करने एवं संचालित विद्यालय के विरुद्ध कार्य करने या अनावश्यक दुष्प्रचार करने की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सामान्य ट्रस्टी को निष्कासित कर देगा। संचालित विद्यालय या ट्रस्ट के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करते हुए शिकायत प्राप्त होने पर सामान्य ट्रस्टी को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी तत्काल निष्कासित कर देगा।

3. **मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्रण :–**

1. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर दे।

2. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद सामान्य ट्रस्टियों में से किसी को हस्तान्तरित कर सकता है।

1. किसी भी व्यक्ति को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त किये गये हैं।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्रीमती फूला देवी की मृत्यु के पश्चात् श्री मनीष कुमार सिंह एवं इसके पश्चात् श्री अस्तित्व सिंह के वंशज ही आनुवांशिक रूप से उत्तराधिकारी होंगे।
3. यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

फूला देवी

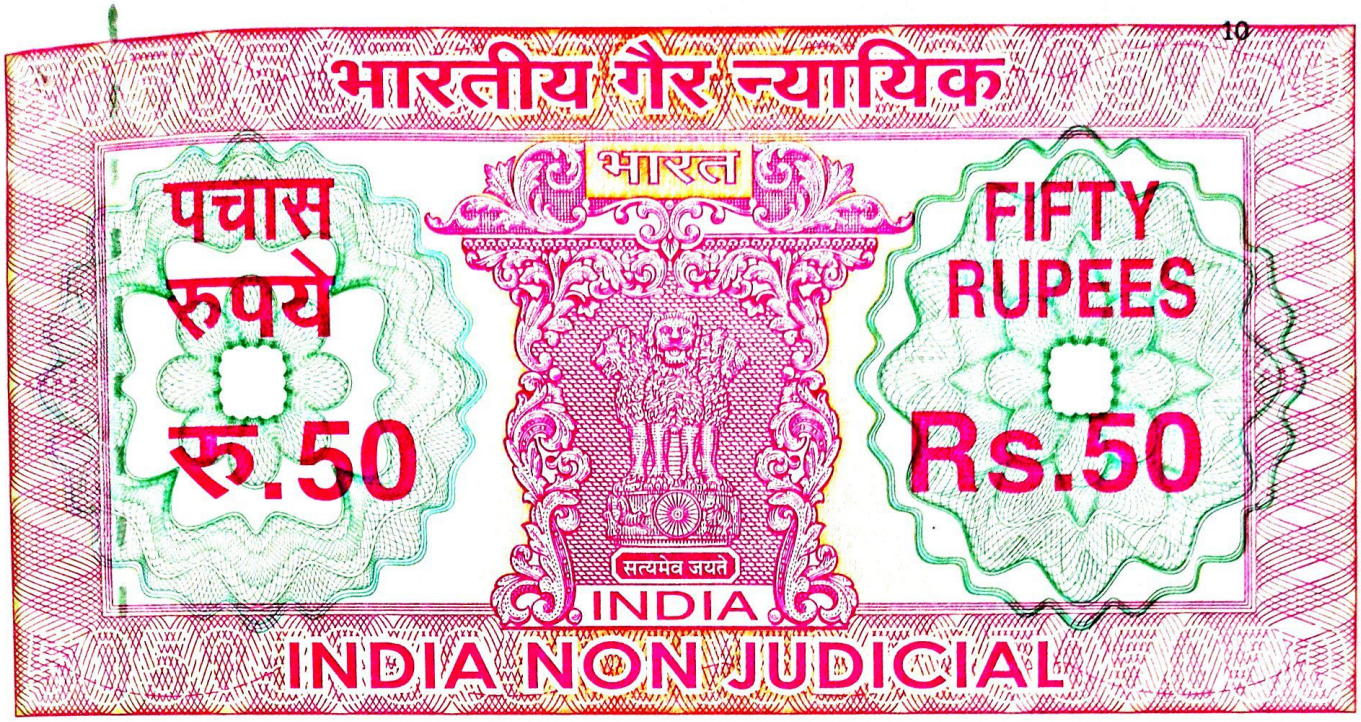


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658674

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतयां मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा। किसी प्रस्ताव पर यदि असहमति होती है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा और वह सर्वसम्मति का प्रस्ताव माना जायेगा।
6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार सामान्य ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित करता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार भी कर सकता है और उसे वापस ले सकता है।
7. कार्यरत मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को किया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा और पुनः वापस भी ले सकता है, जिस पर आपत्ति नहीं की जाती है।

4. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज** :–

1. यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 05 सदस्य होंगे। पांच सामान्य ट्रस्टी को बिना शुल्क एवं आवेदन के ही मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार से सामान्य ट्रस्टी बना सकता है। यह संख्या 15 के अतिरिक्त होगी और ये सदस्य सामान्य ट्रस्टी के रूप में मान्य होंगे।
2. यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ सामान्य ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अविध मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का

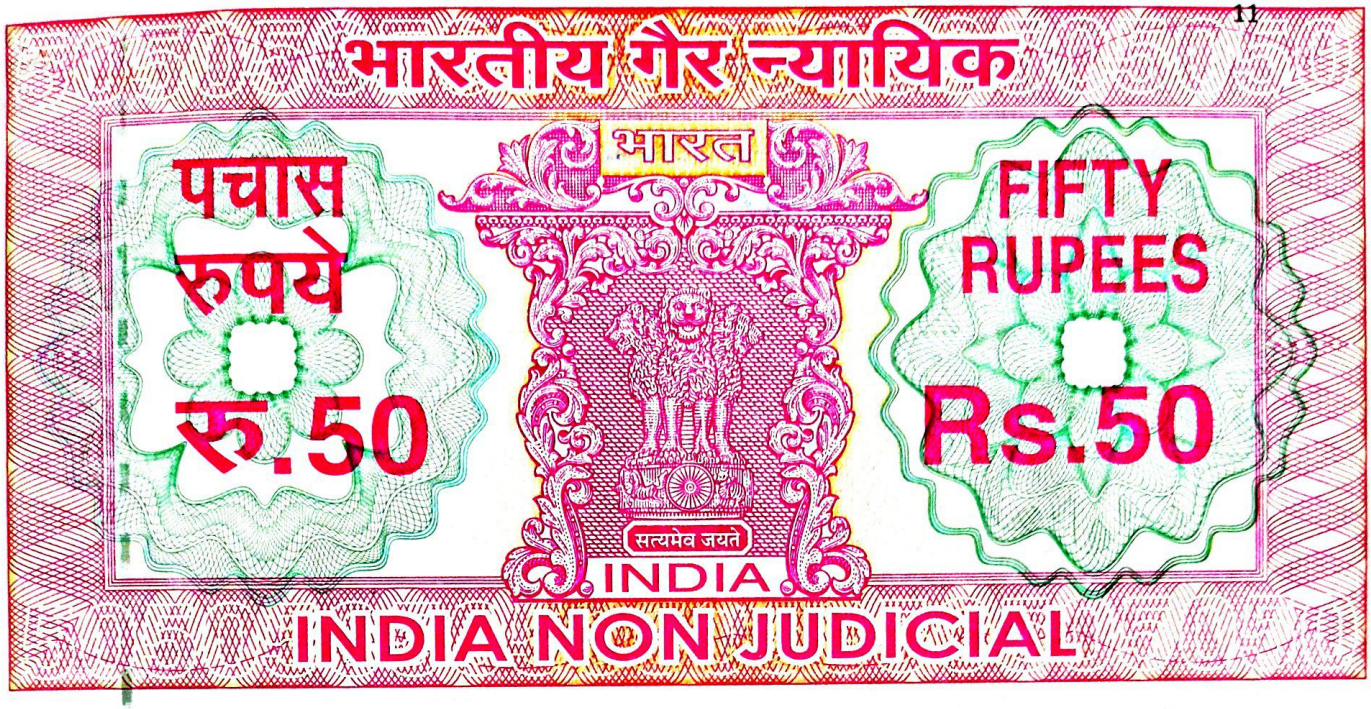


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 658675

कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी सामान्य ट्रस्टी को बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे। कार्यकाल का निर्धारण सामान्य ट्रस्टी नियुक्त करते समय मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ही उसका कार्यकाल निर्धारित करेगा। यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पुनः सामान्य ट्रस्टी शुल्क देगा मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा मान्य किये जाने पर ही आगे सामान्य ट्रस्टी का सदस्य रह सकता है। अन्यथा नहीं रह सकता है।

5. **मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषधिकार** :– मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में से किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 सामान्य ट्रस्टियों का चयन बिना आवेदन शुल्क एवं आवेदन के ही नियुक्त कर सकता है।

6. **मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएं** :– मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट डीड के समय 5000/– रू0 जमा कर ट्रस्ट की सदस्यता के रूप में जमा करेगा। श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह, नरौली पश्चिमी मिशन कैम्पस, पो0–हरिबंशपुर का कार्यकाल आजीवन मुख्य मैंनेजिग ट्रस्टी के रूप में होगा। सामान्य ट्रस्टी का सदस्यता शुल्क 200.00 रू0 होगा। डीड के समय अंकित नाम रू0 200/– ट्रस्ट की सदस्यता शुल्क देकर सामान्य ट्रस्टी बनाये गये। सामान्य ट्रस्टी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त पुनः मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के विवेक पर सदस्यता शुल्क पुनः रू0 200/– जमा करने पर मान्य होगा अन्यथा कार्यकाल समाप्त होते ही सामान्य ट्रस्टी, ट्रस्ट के पद पर है, उस पद से और सामान्य ट्रस्टी के पद से मुख्य मैनंजिंग ट्रस्टी हटा देगा। जिस पर कोई

फूलादेवी

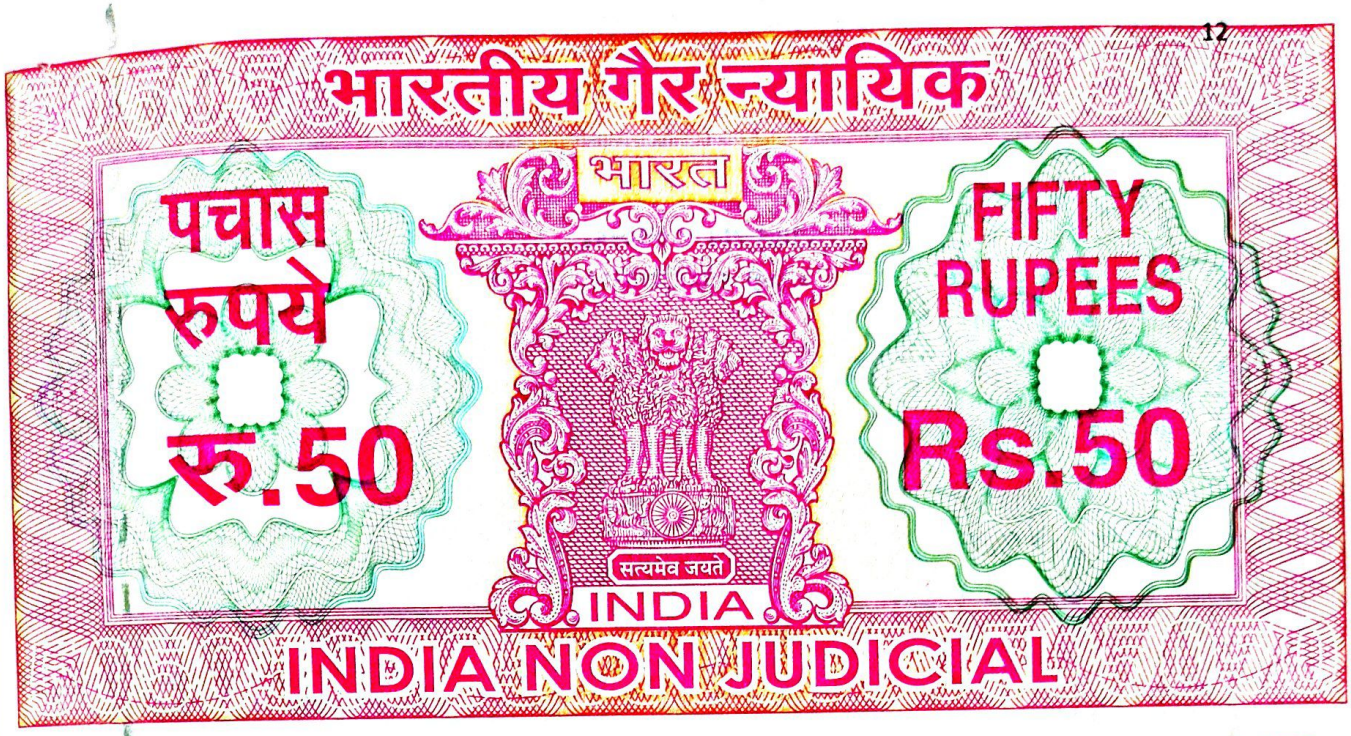


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658676

आपत्ति सामान्य ट्रस्टी द्वारा नहीं की जा सकती है और न ही कहीं चुनौती दी जा सकती है। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अतिरिक्त शेष सामान्य ट्रस्टी को 10/–रू0 वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी ट्रस्ट से सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जिसके विरुद्ध कहीं भी आपत्ति नहीं की जा सकती। ट्रस्ट में जो पदाधिकारी होंगे या ट्रस्ट से संचालित विद्यालय के पदाधिकारी/सदस्य होंगे, उनको 50/– रू0 वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनको पदाधिकारी/कार्यकारिणी के सदस्य के पद से मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष हटा देगा, जिसकी सूचना भी देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य मैनेंजिंग ट्रस्टी जो ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष होगा और ट्रस्ट से संचालित विद्यालयों का पदेन प्रबन्धक होगा उसको किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। यदि कभी यह स्थिति आ जाये कि सामान्य ट्रस्टी कोई न रहे तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अकेले ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और संचालित विद्यालय में पदेन प्रबन्धक के रूप में कार्य करेगा और बाद में सामान्य ट्रस्टी बनायेगा।

7. **कार्य क्षेत्र** :– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी भी राज्य व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति** :–

1 यह कि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव की एवं एक उपसचिव की नियुक्ति कर सकेगा, और किसी भी समय हटा सकता है। यह कार्य मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा कि जो निःशुल्क कार्य करने को तैयार हो उसी को नियुक्त करेगा।

2 यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद स्वरूप कार्य करेंगे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी सामान्य ट्रस्टियों के किसी प्रकार की

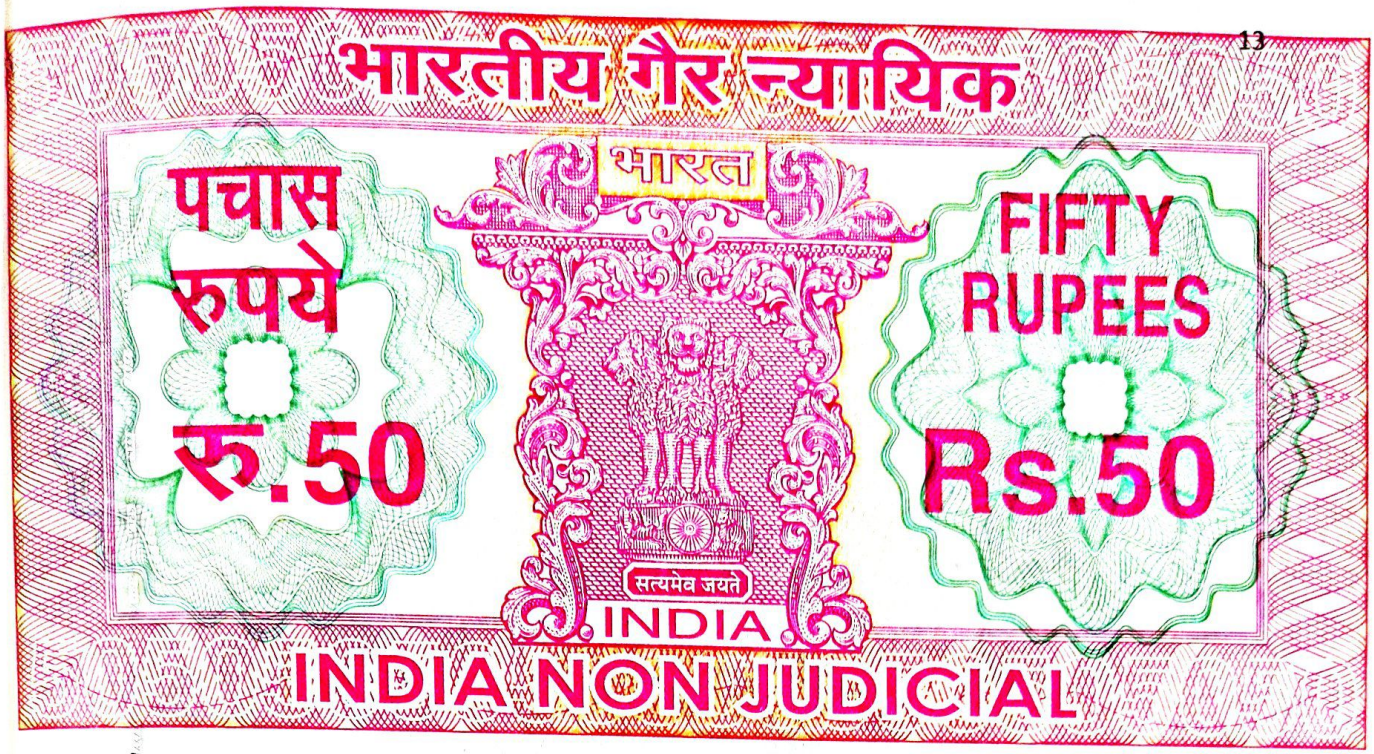

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 658677

अनुशासनहीनता /कार्यशिथिलता, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे सामान्य ट्रस्टी को ट्रस्ट से बाहर कर सकता है। जिसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही कहीं आपत्ति की जा सकती है।

9. **उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–**

1 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।

2 यह कि उपाध्यक्ष को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पद पर कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इस पद पर नियुक्ति कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्यों एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है। सामान्य ट्रस्टी के हटाने पर सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही सामान्य ट्रस्टी कहीं कोई आपत्ति ही कर सकता है।

10. **मुख्य मैंनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य** :– यह कि इस डीड के अन्तर्गत मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1 बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2 ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

1. इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

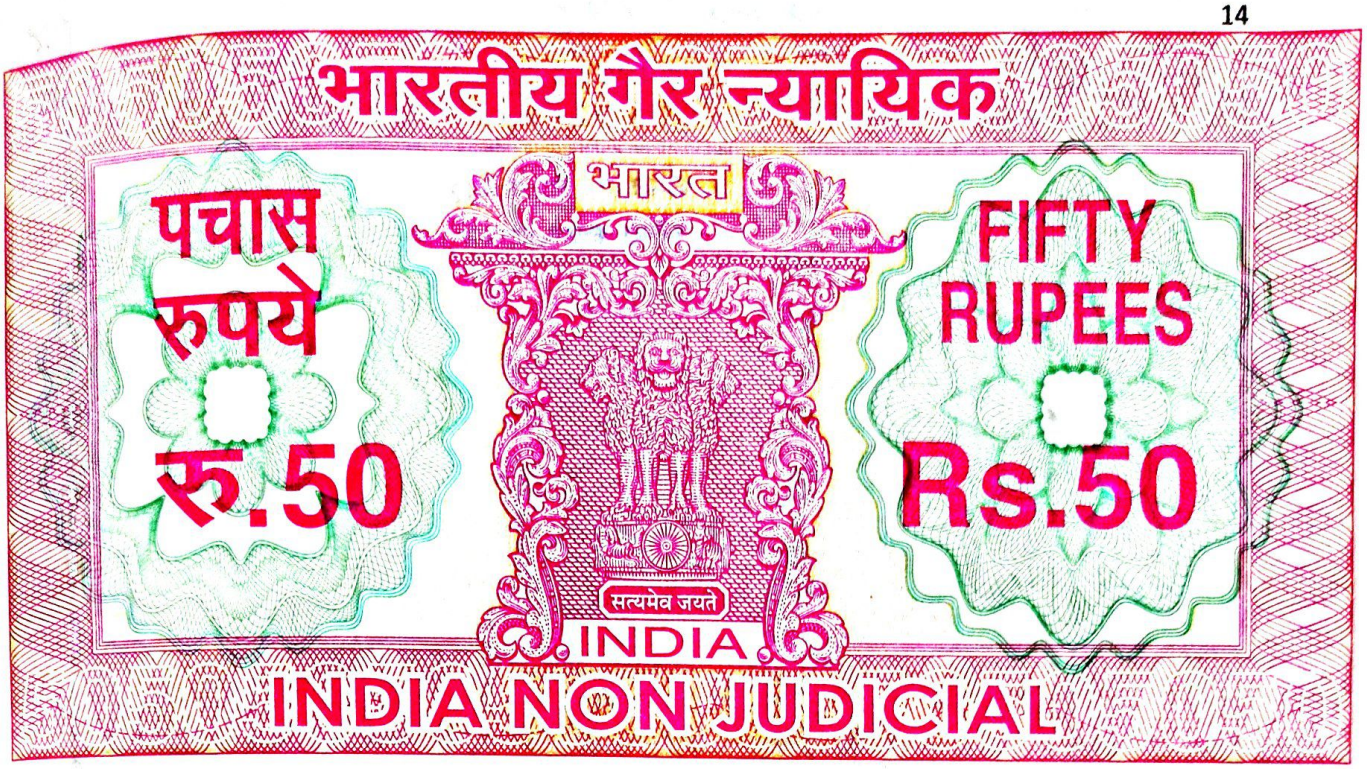


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672922

2. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ही बैठक आहूत करेगा। अन्य किसी सामान्य ट्रस्टी द्वारा बुलायी गयी बैठक स्वतः अमान्य एवं विधिशून्य होगी। उस पर किसी तरह का विचार ही नहीं होगा।
3. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, कार्यवाही एवं संचालित विद्यालय माडर्न एरा इण्टर कालेज जीयनपुर, आजमगढ़/माडर्न एरा हायर सेकेण्ड्री सी0बी0एस0ई0 बोर्ड जीयनपुर, आजमगढ़ की समस्त कार्यवाही पंजिका अपने पास सुरक्षित रखना। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं कार्यवाही लिखेगा या संचालित विद्यालय के किसी अध्यापक से लिखवा सकता है मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर अन्त में होगा। यह कार्यवाही मान्य होगी। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष चाहे तो कार्यरत अध्यापक से या विद्यालय के सेवानिवृत्त अध्यापक से भी कार्यवाही बैठक में बुलाकर लिखवा सकता है। किसी की आपत्ति विधिशून्य होगी। ऐसा शिक्षक ट्रस्ट की बैठक में, बैठक की समाप्ति तक रहेगा।
4. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय कोई भी परिवर्तन रजिस्ट्रार के यहां उपस्थित होकर कर सकता है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी होंगे मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति के पश्चात् ही कार्य करेगा।
5. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार से समस्त कार्य होंगे। यदि कहीं भी मैंनेजिंग टंकित हो तो उसे मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी समझा जाय शेष सामान्य ट्रस्टी होंगे। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्ट का अध्यक्ष आजीवन होगा।

11. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य** :– मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा बुलाई गयी बैठक में यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति होने की संभावना हो तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति से मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप से अनुमति देगा कि उपाध्यक्ष या अन्य कौन सामान्य ट्रस्टी अध्यक्षता करेगा या बैठक को वापस आने तक स्थगित कर सकता है।

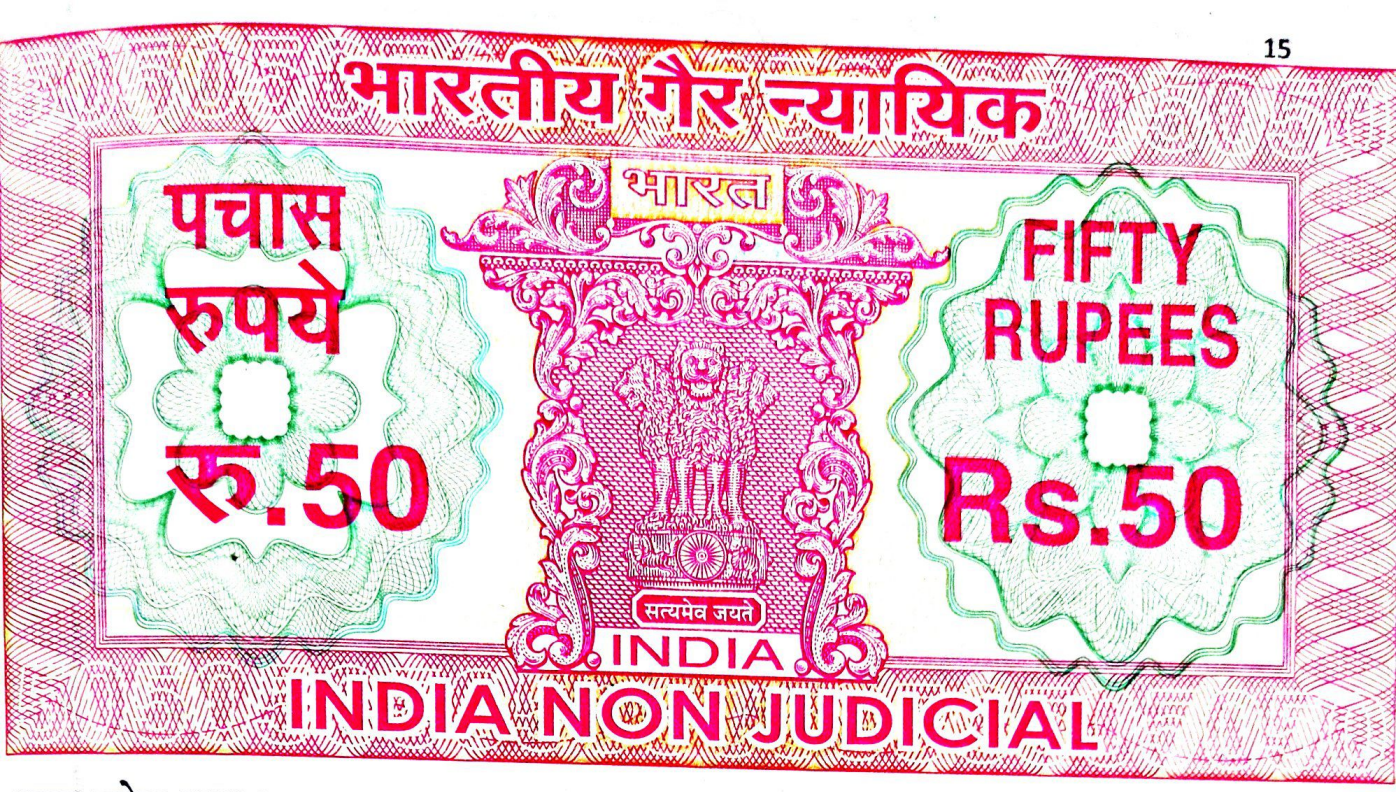

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672923

12. **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–** मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा यदि बैठक बुलायी गयी है तो सचिव को सूचना देने के लिए मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से ट्रस्टियों को सूचित करने के लिए अनुमति दी गयी हो तो ट्रस्ट के सदस्यों को सचिव द्वारा सूचना दी जायेगी। ट्रस्ट का मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति के पश्चात् ही कोई कार्य करेगा। सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है –

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाली सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही करना। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति से करना यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी चाहे तो स्वयं कार्यवाही करना इस पर सचिव की आपत्ति विधिशून्य होगी।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति से कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना। यह कार्य मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं भी कर सकता है।
5. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित अनुमति से ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

पुष्पा देवी

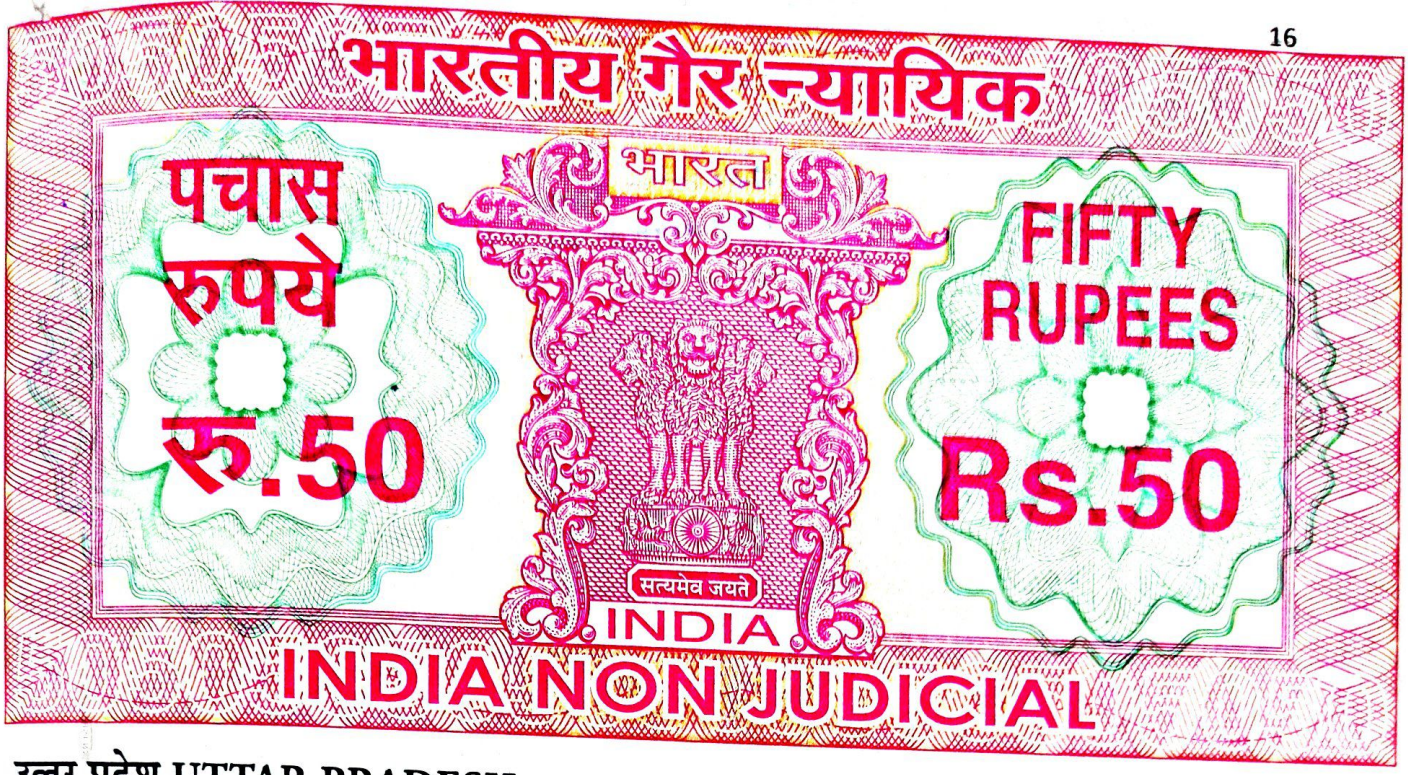

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672930

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की लिखित स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
9. उक्त समस्त कार्य मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की लिखित अनुमतति से ही करेगा।

13. **उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य** :–
1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त होगा।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
4. उक्त समस्त कार्य मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का लिखित अनुमति से ही होगा।

14. **बैंक एकाउण्ट** :–
1 ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं खाता खोलेगा तथा उसे संचालित करेगा। मैंनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जायेगा। यदि सोसाइटी के नाम से खाता खोला गया है तो उसका नाम ट्रस्ट के रूप में मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष करायेगा।
2 ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलना एवं संचालित करना। किन्तु विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार उसका प्रबन्धक मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पदेन प्रबन्धक होगा। जब विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव होगा तो प्रबन्धक के पद का चुनाव नहीं होगा।

15. **विधिक कार्यवाही** :– संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य

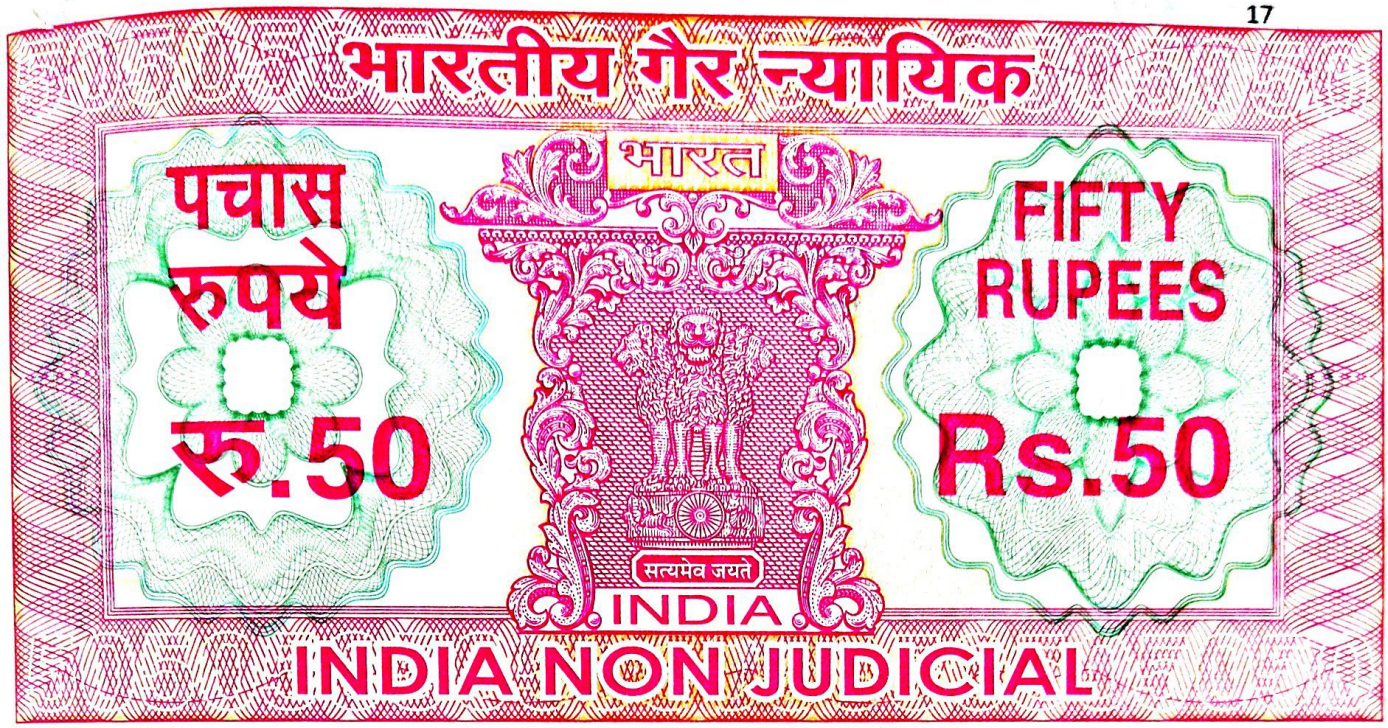


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 672924

को अधिकृत कर सकता है। यदि किसी शिक्षक/कर्मचारी का अधिकृत करता है तो वह ड्यूटी पर माना जायेगा।

16. **सम्पत्ति सम्बन्धी – मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्नलिखित अधिकार होंगे–**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है या स्वयं पैरवी करेगा।
3. ट्रस्ट का मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति का क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है। यदि पर्याप्त भूमि हो तो लीज पर देना।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त सकता है और दे सकता है। ट्रस्ट के ही सदस्य संचालित संस्थाओं में नियमानुसार प्रशासन योजना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge),

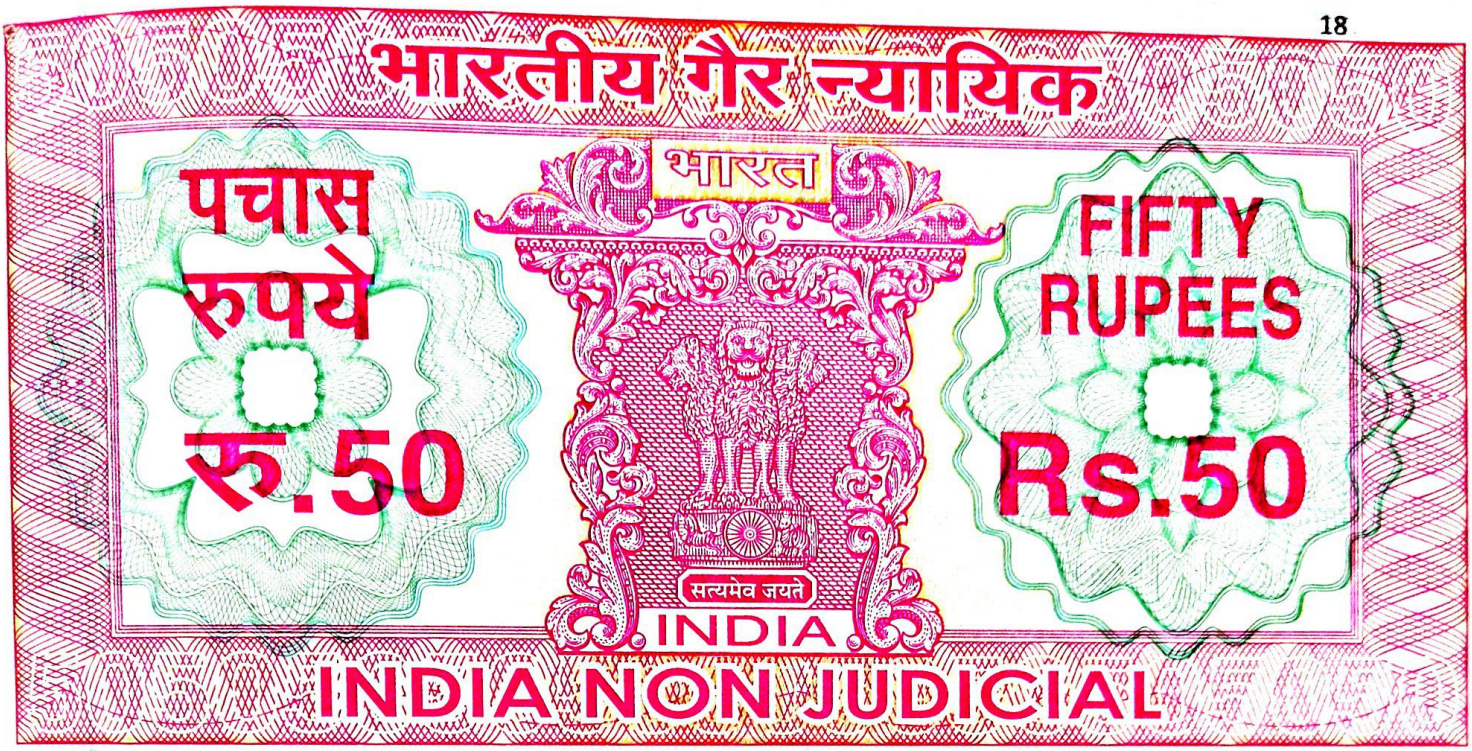

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 672925

विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने यात्रा भत्ता ले सकता है।

8. मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट से संचालित विद्यालय का पदेन प्रबन्धक होने के कारण विद्यालय के भवन में परिवर्तन करना, अन्य स्थान जो विद्यालय की भूमि कहीं हो उसमें निर्माण कार्य कराना। विद्यालय की आय बढ़ाने हेतु यदि भूमि विद्यालय की है तो दुकान का निर्माण कराना। यदि कोई भूमि किसी कार्य हेतु मान्यता के समय दर्शायी गयी हो उसमें परिवर्तन का अधिकार मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा। यदि क्रीड़ा मैदान आच्छादित हो तो उनमें परिवर्तिन करके दूसरी जगह हस्तान्तरित कर सकता है। यदि विद्यालय की भूमि कहीं निष्प्रयोज्य एवं काफी दूर है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी लीज पर या रेहन पर स्वतः दे सकता है। जिसकी अनुमति की आवश्यकता किसी से नहीं होगी।

9. पूर्व में सोसाइटी से संचालित विद्यालय ट्रस्ट के पंजीकृत होने से अब ट्रस्ट से संचालित विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव (प्रबन्धक को छोड़कर) अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुसार सम्पन्न होगा, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य ही पदाधिकारी/सदस्य चुने जायेंगे। प्रबन्ध समिति के चुनाव की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती फूला देवी व पदेन प्रबन्धक द्वारा सूचना प्रकाशित करायी जायेगी, जो पर्याप्त होगी। स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने पर अन्य सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। यह सूचना पर्याप्त होगी। ट्रस्ट से संचालित विद्यालय का मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी पदेन प्रबन्धक होगा और संचालित विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव प्रबन्धक के पद को छोड़कर अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य का चुनाव होगा। यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष संचालित विद्यालय का पदेन प्रबन्धक है यदि इसकी इच्छा हो तो सामान्य ट्रस्टी मे से किसी को संचालित विद्यालय का प्रबन्धक नियुक्त कर सकता है। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का यह निर्णय अन्तिम होगा, जिस पर कहीं आपत्ति नहीं

फूलादेवी

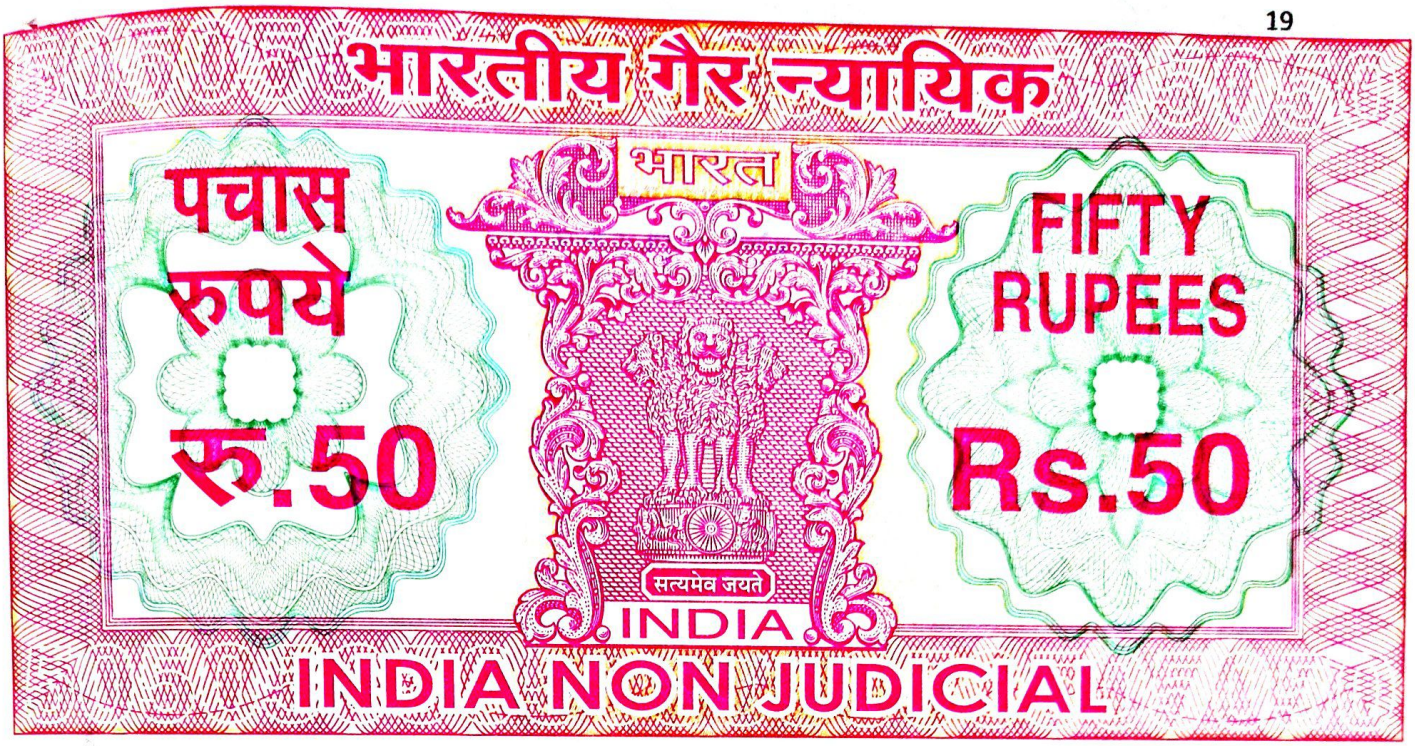

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672926

की जा सकती है। यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी चाहे तो वह पुनः प्रबन्धक का अधिकार वापस लेते हुए स्वयं प्रबन्धक के रूप में कार्य करने लगेगा। यदि मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर विद्यालय का प्रबन्धक कोई सामान्य ट्रस्टी बनाया जाता है तो विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव कार्यक्रम एवं सामान्य ट्रस्टी की सूची मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ही जिला विद्यालय निरीक्षक को देगा और चुनाव की कार्यवाही मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ही करायी गयी मान्य होगी। यदि अन्य के द्वारा कोई चुनाव कार्यवाही कभी प्रस्तुत की जाती है वह विधि शून्य एवं अमान्य होगी जिस विचार का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।

10. यदि पूर्व में सोसाइटी से संचालित विद्यालय के प्रबन्धक के पद का चुनाव दर्शाया गया हो तो इस ट्रस्ट के पंजीकृत होने पर प्रबन्धक के पद के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी/सदस्य का चुनाव प्रबन्ध समिति के लिए होगा। मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी आजीवन ट्रस्ट का अध्यक्ष एवं संचालित विद्यालय का पदेन प्रबन्धक रहेगा। यदि भविष्य में इस ट्रस्ट से कोई किसी स्तर का विद्यालय संचालित होता है तो मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/पदेन प्रबन्धक/सचिव आजीवन रहेगा। यदि यह ट्रस्ट महाविद्यालय, टेक्निकल विद्यालय, महिला महाविद्यालय, अनाथालय या अन्य कोई संस्था खोल कर संचालित करना चाहता है तो ट्रस्ट से संचालित विद्यालय की भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित भी कर सकता है। यदि संचालित सोसाइटी से विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव हो चुका है तो ट्रस्ट के पंजीकृत होते ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव उसी तिथि से 5 वर्ष पर होगा। यह प्रशासन योजना में संशोधन माना जायेगा। इस ट्रस्ट से संचालित विद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य विद्यालय ट्रस्ट से संचालित होना चाहता है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी इस ट्रस्ट में समाजित कर लेगा। मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निर्गत नोटरी शपथ

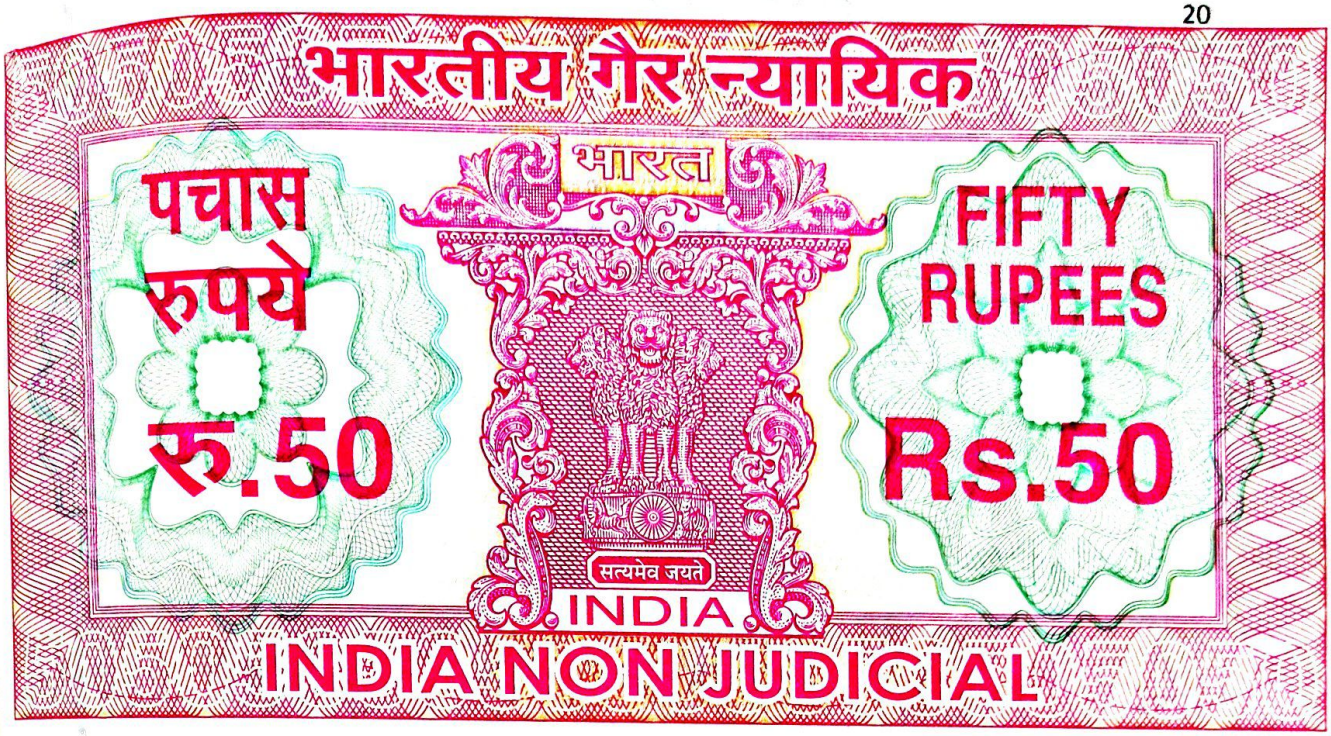


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 672927

पत्र की तिथि से वह विद्यालय इस ट्रस्ट से संचालित होगा। इस ट्रस्ट में सम्मिलित विद्यालय की सोसाइटी उसी तिथि से निष्प्रभावी एवं अमान्य हो जायेगी।

17. **विशेष** :–

1 इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई /कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु बाधा उत्पन्न करता है तो पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह **एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़** के निमय/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

2 मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड से किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

3 डीड पंजीकृत होने पर ट्रस्ट के प्राविधान लागू हो जायेंगे और इसके अनुसार पदाधिकारियों की सूची से सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सूचित किया जायेगा। इसी प्रकार, ट्रस्ट से संचालित विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव हो गया हो तो ट्रस्ट के सदस्यों में से प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी/सदस्यों की सूची परिवर्तित करके ट्रस्ट के सदस्यों में से कार्यकारिणी का गठन करके कार्यकारिणी की सूची से जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सूचित किया जायेगा, शेष नियम अनुमोदित प्रशासन योजना के मान्य होंगे। ट्रस्ट के पंजीकृत होने पर विद्यालय प्रबन्ध समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्य ट्रस्ट में अंकित सामान्य ट्रस्टी से ही पदाधिकारी एवं सदस्य

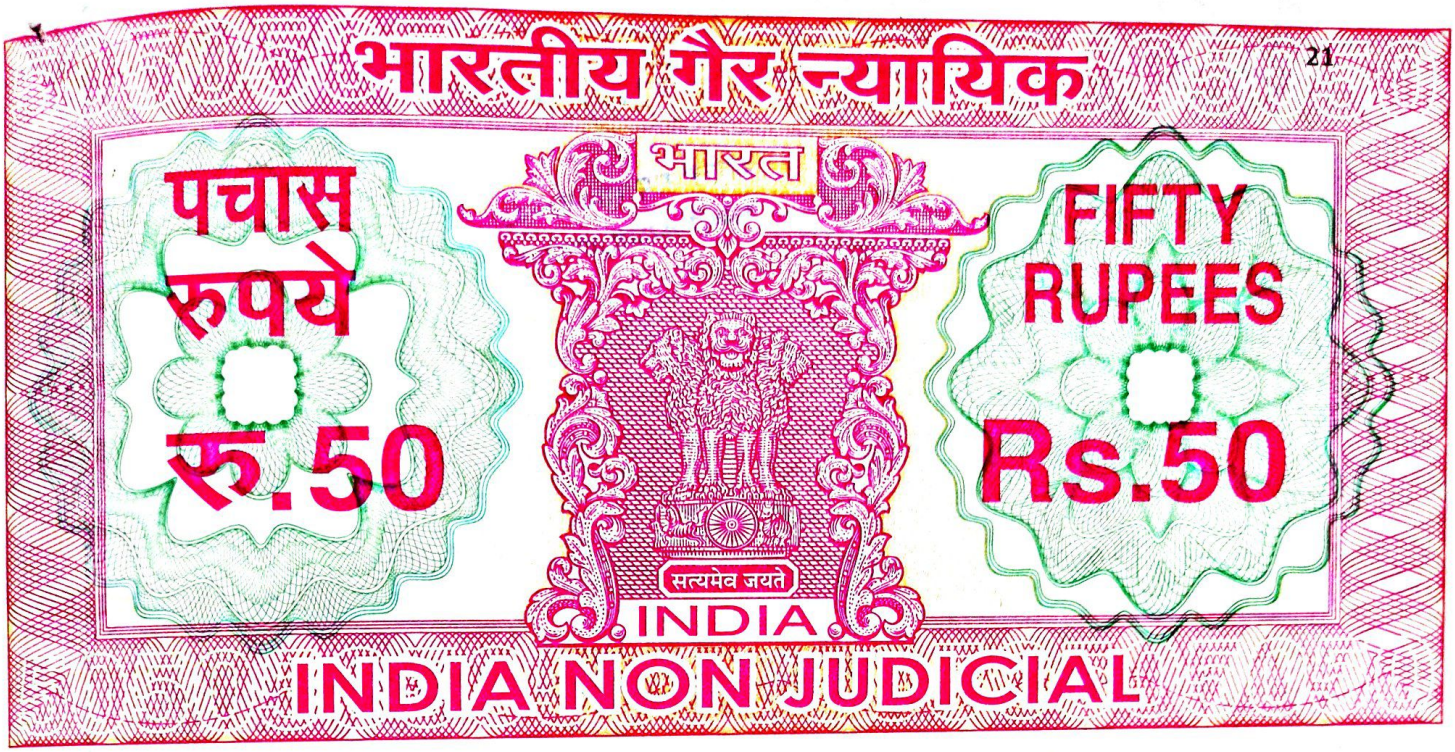

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672929

होंगे। पूर्व के यदि पदाधिकारी एवं सदस्य ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं तो वह स्वतः हटे माने जायेंगे।

4 ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन रहेगा। मुख्य मैंनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट एवं ट्रस्ट से संबंधित संचालित विद्यालय की समस्त कार्यवाही, सूचना रजिस्टर, कैशबुक एवं अन्य अभिलेख अपने पास रखेगा। मुख्य मैंनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही एवं अभिलेख ही मान्य होगा। अन्य द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख विधिशून्य एवं अमान्य होगा।

5 यह कि यदि ट्रस्ट के पंजीकृत होने के उपरान्त ट्रस्ट से संचालित विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव पूर्व में हो गया हो तो ट्रस्ट के पंजीकृत होने के उपरान्त अब विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव पांच वर्ष के बाद होगा।

6 मुख्य मैंनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यों को संचालित करने हेतु एक सलाहकार मण्डल का गठन अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, जिसकी संख्या 5 होगी। ये ट्रस्ट के सदस्य नहीं होंगे। यदि मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष चाहे तो उन्हें ट्रस्ट की बैठक में बुलाकर सलाह ले सकता है। इस मण्डल के सदस्यों का हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर पर नहीं होगा, केवल विचारणीय विन्दुओं पर राय ली जा सकती है। किन्तु, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का ही विचारणीय विन्दुओं पर निर्णय अन्तिम होगा। यदि किसी विचारणीय विन्दु पर मतभेद है तो मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विचार अन्तिम होगा और वह सर्वसम्मति का प्रस्ताव माना जायेगा। ट्रस्ट के सलाहकार के रूप में विद्यालय के कार्यरत अध्यापक, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं जो मुख्य मैंनेजिंग

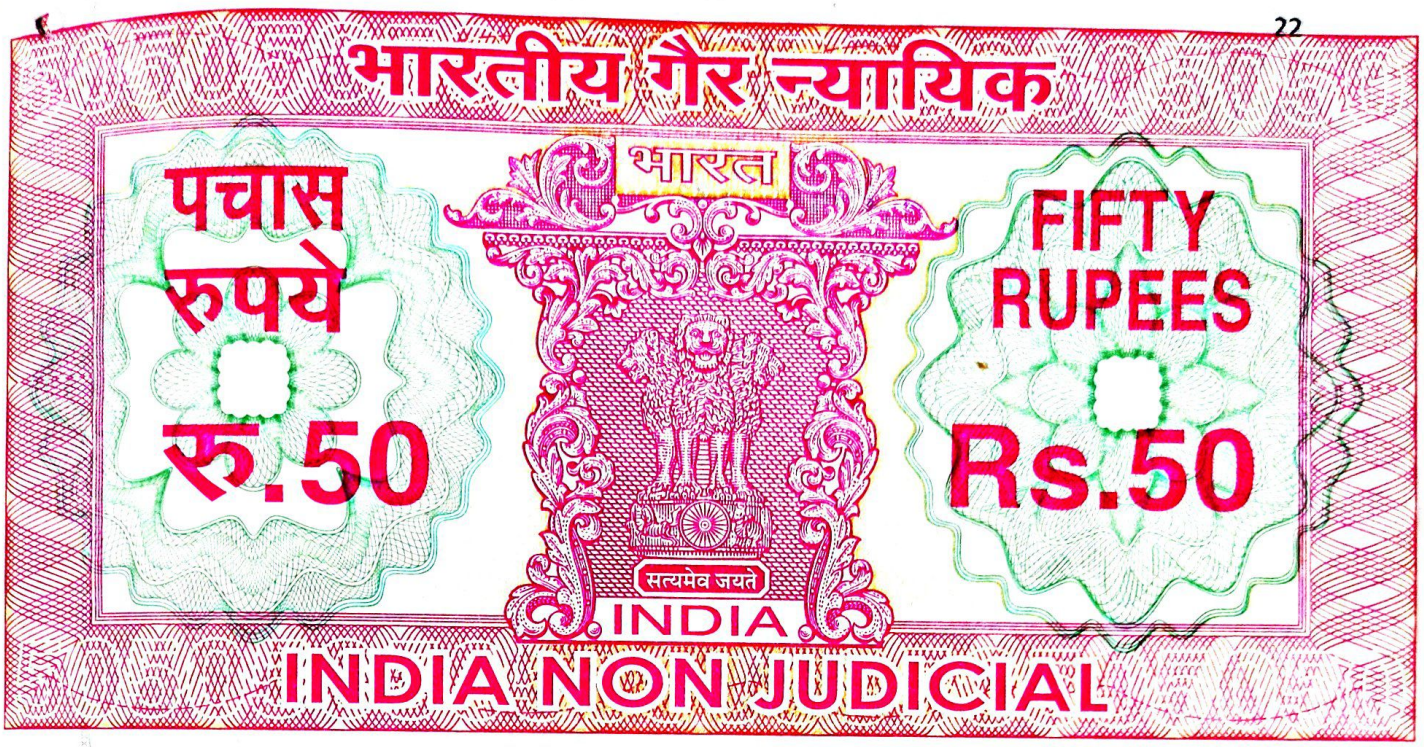


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672928

ट्रस्टी/अध्यक्ष के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करेगा कि किसको वह सलाहकार मण्डल में रखते हैं।

7 एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी ग्राम–खानकाह बहरामपुर, पो0–जीयनपुर, नवीनीकरण सं0 1077/2014–15 फाईल सं0 AZ-4775 द्वारा मार्डन एरा इण्टर कालेज जीयनपुर, आजमगढ़ एवं मार्डन एरा हायर सेकेण्ड्री स्कूल जीयनपुर, आजमगढ़ संचालित हो रहा है। इस ट्रस्ट के पंजीकृत होने के तत्काल बाद अब उक्त विद्यालय एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़ से संचालित होगा।

8 यह कि **एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़** उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

फूलादेवी

**(फूला देवी)**
मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी
**एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**
**आजमगढ़**

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BP 658666

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गवान 1– नरेन्द्र सिंह पुत्र गोरखनाथ सिंह
नि0 सलेमलपुर, पो0 हीरापट्टी,
तह0 सदर, जिला आजमगढ
मो0नं0

8 43 ... 19
वी 50

न्यास पत्र 4/9/18

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1250 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 620

कोमल राम ला०न०...
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़





श्रीमती फूला देवी ,
पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा० मकान नं० 425 नरौली, तह० सदर, आजमगढ

फुलादेवी

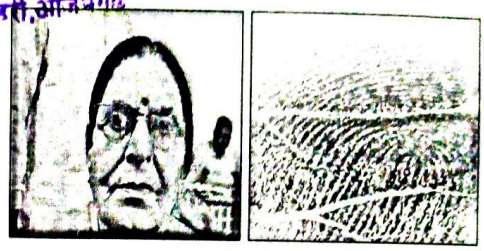

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/09/2018 एवं 12:29:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
04/09/2018

पवन कुमार पाण्डेय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

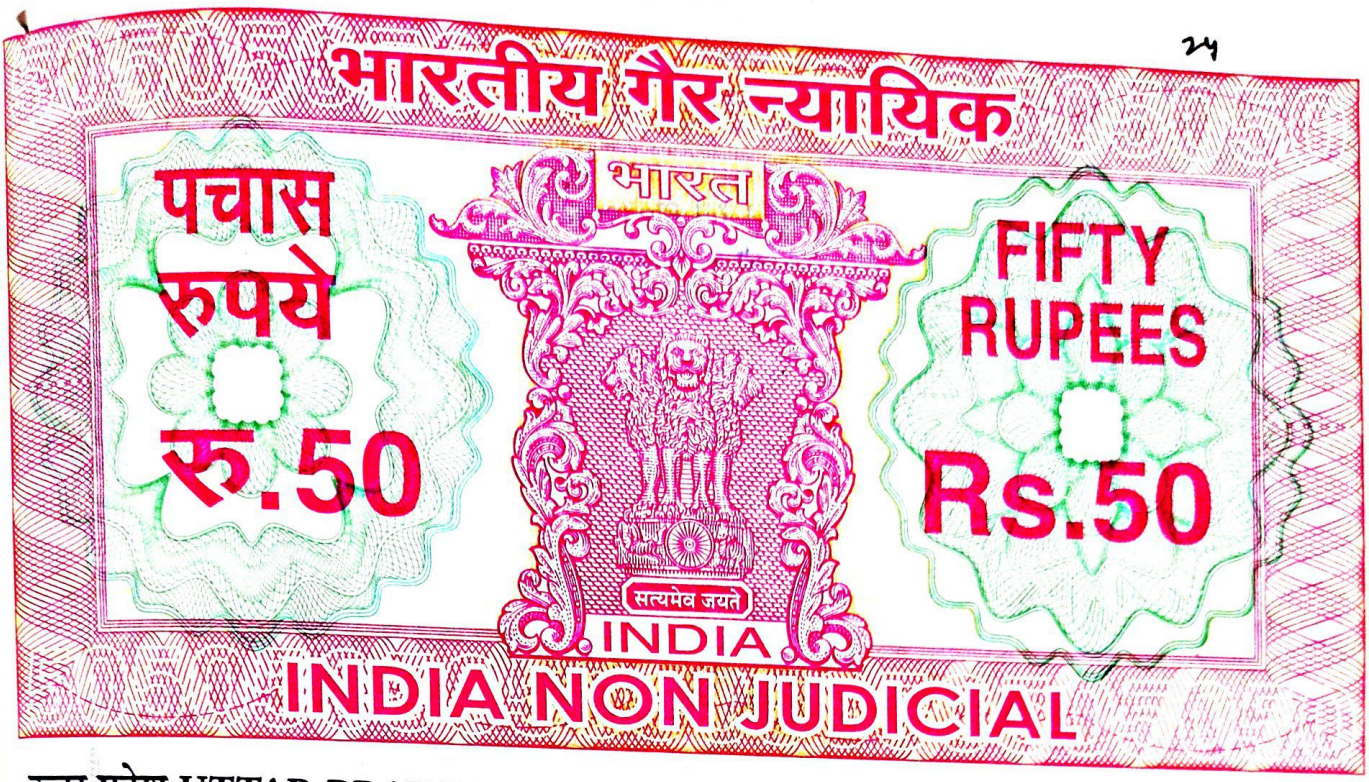

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 672931

गवाह नं0 2 श्यामप्यारे चौहान पुत्र विन्देश्वरी चौहान
नि0 हरैया पो0 सठियॉव,
तह0 सदर, जिला आजमगढ
मो0 नं0 9453714377

Chauhan

फुलादेवी

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्रीमती फूला देवी, पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

निवासी: सा० मकान नं० 425 नरौली, तह० सदर, आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री गोरखनाथ सिंह

निवासी: सा० सलेमपुर पो० हीरापट्टी, तह० सदर, आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2




श्री श्यामप्यारे चौहान, पुत्र श्री विन्देश्वरी चौहान

निवासी: सा० हरैया पो० सठियॉव, तह० सदर, जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी:

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़

पवन कुमार पाण्डेय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

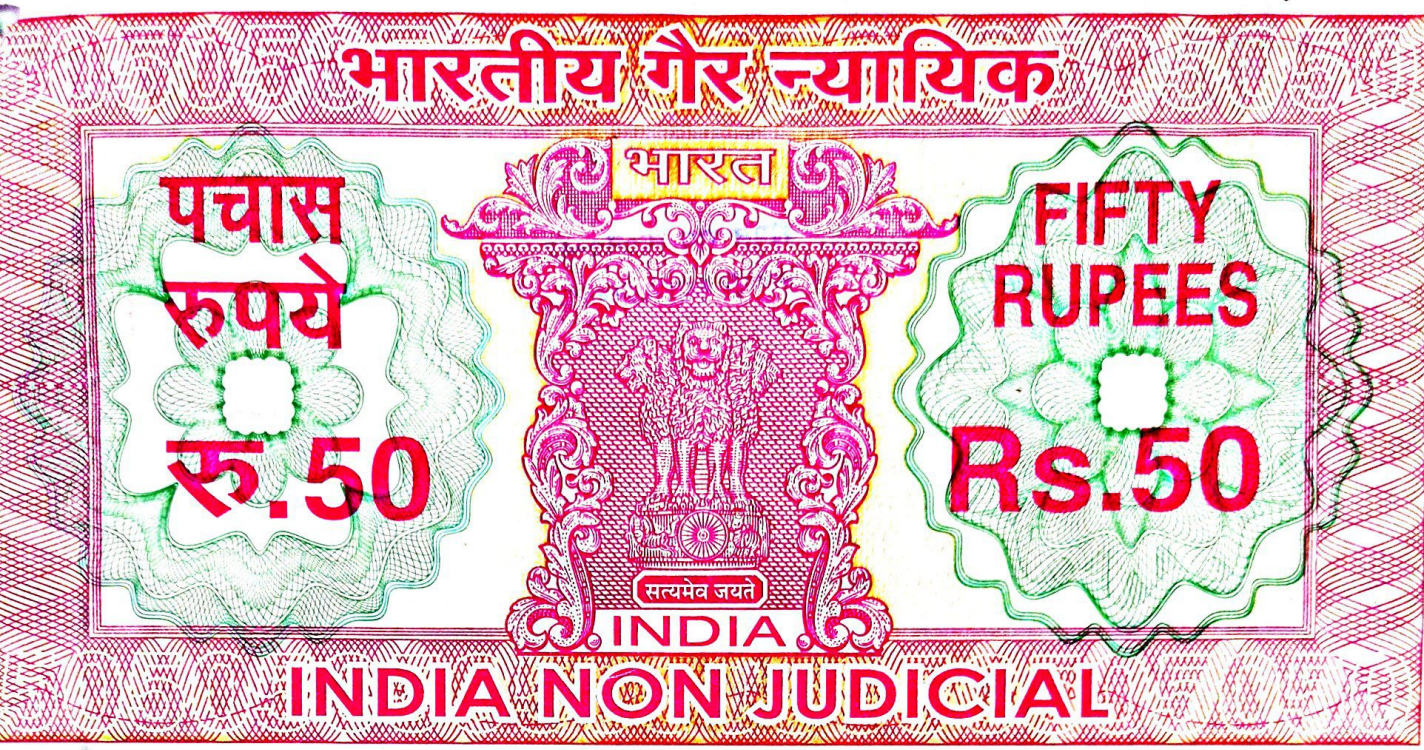


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 662854

टाइप कर्ता :–

तैयारकर्ता – (फूला देवी)
मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी
एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
आजमगढ़।

दिनांक 04.09.2018

S. 42 ... 19

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 5185 के पृष्ठ 99 से 148 तक क्रमांक 161 पर दिनांक 04/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

1/9/18

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी,आजमगढ़

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़
04/09/2018

प्रिंट करें

9/4/2018, 12:40 PM

प्रेषक,

संख्या-9/ 2016/ 835/ 15-7-2016-1(29)/ 2014

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2016

विषयः- माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद की स्थिति रोकने के उद्देश्य से विद्यालय सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-06 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-परिषद-9/ डी0ई0/ 02, दिनांक 02 जून, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद की स्थिति रोकने के उद्देश्य से विद्यालय सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-06 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद द्वारा जिन संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है, उनका संचालन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत गठित सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। प्रदेश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन संचालित कतिपय विद्यालयों की प्रबन्ध समिति में आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जिससे विद्यालय के संचालन में कठिनाई आती है तथा प्रबन्धकीय विवाद के अनेक मामले न्यायालय में योजित किये जाते हैं, जिसकी पैरवी में राजकीय धन का अपव्यय होता है। उक्त वर्णित परिस्थिति के आलोक में तथा सहमयता प्राप्त विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन संचालित विद्यालयों को विद्यालय की आम सभा के 3/ 4 सदस्यों की लिखित सहमति से विद्यालय सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा जो विद्यालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन संचालित किये जा रहे हैं, उन्हें भी उपर्युक्तानुसार सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद की स्थिति रोकने के उद्देश्य से विद्यालय सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-06 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर [redacted] माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-6 में संशोधन का प्रारूप नीचे संलग्न है।

3- उक्त के संबंध में कृपया अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

( अनिल कुमार बाजपेई )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

## विनियम संशोधन का प्रारूप

परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-6 के पश्चात् नवीन विनियम 6(ख) व (ग) जोड़ा जाना

| वर्तमान स्वरूप | संशोधित स्वरूप |
|---|---|
| विनियम-6(क)<br>मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा, उनमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में ट्रस्ट की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। | विनियम-6(क) यथावत्। |
| | विनियम-6(ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसाइटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिए आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसाइटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।<br>विनियम-6(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद द्वारा अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसाइटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों के लिखित सहमति से सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हे सोसाइटी से ट्रस्ट के नाम भूखण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। |

( अनिल कुमार बाजपेई )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।